प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजना लेखाशीर्षक '2401-119-03-0304-राजभवन उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)' के अन्तर्गत वेतन भत्तों की मदों में हो रही बचतों के सापेक्ष 42-अन्य व्यय मद में हो रहे व्ययाधिक्य की प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 217/बजट-आयोजनेत्तर/2014-15 दिनांक 30.10.2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 12/1790/58-2014-131/2014 दिनांक 30.07.2014 के क्रम में, बी0एम0-9 पुनर्विनियोग पत्र संख्या आर. ई.-129/ई-1-712/दस-2014 दिनांक 03.12.2014/ पृष्ठांकन पत्र संख्या एन.बी. 1069/58-2014-413/2014, दिनांक 10.12.2014 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजना लेखाशीर्षक '2401-119-03-0304-राजभवन उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)' के अन्तर्गत '42-अन्य व्यय' मद में व्यवस्थित धनराशि के अतिरिक्त रू0 200 हजार (रूपये दो लाख) मात्र की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से और की गयी है। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.07.2014 में प्रश्नगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित उक्त धनराशि रू0 200 हजार (रूपये दो लाख) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शतोर्ं एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	***लेखाशीर्षक***	***कोड सं0/ मद का नाम***	***आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि+ पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि***	***पूर्व में अवमुक्त धनराशि***	***अब अवमुक्त की जा रही धनराशि***
1	2	3	4	5	6
	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-119-बागवानी तथा बनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0304-राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)	42- अन्य व्यय	***1000***	***800***	***200***
	योग		***1000***	***800***	***200***

(रूपये दो लाख)मात्र

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय, किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथासमय समर्प्पित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय, किसी अन्य मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

)3(वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

)4(अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहॉ आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

)5(बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(7) बी0एम0-9 की प्रति संलग्न है।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-1/2015/19(1)/58-2-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in